मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, 2016
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 4 सन् 2017

[दिनांक 8 जनवरी, 2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में . दिनांक 12 जनवरी, 2017 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य. के सड़सठ, वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) . अधिनियम, 2016 है.

धारा 33 का संशोधन. 2. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी, तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1971) की धारा 33 में, उपधारा (4) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कालन स्थापित किया जाए और. इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए अर्थात् :-

"परन्तु ऐसा व्यक्ति, 'जो आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति में स्नातक उपाधि रखता हो तथा बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो तथा जिसने सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा शासकीय क्षेत्र में पदस्थ हो, प्रशिक्षण की सीमा तक, आधुनिक वैज्ञानिक औषध, जो कि "एलोपैथी" के नाम से भी जानी जाती है तथा ऐसी अन्य चिकित्सा प्रक्रियाएं करने का भी पात्र होगा तथा "चिकित्सा की एलोपैथी पद्धति की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं अथवा केन्द्रों में पदस्थ किए जाने का भी पात्र होगा. "